न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या–01, मावली, जिला–उदयपुर (राज०)

पीठासीन अधिकारी – प्रेम प्रकाश जीनगर(आर.जे.एस.)

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या	226/2015
सीआईएस रजिस्ट्रेशन संख्या	3034/2015
सी०एन०आर० नंबर	**RJUD130001982015**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	215/2014, **पुलिस थाना–डबोक**
अपराध अंतर्गत धारा	**365, 342, 323 भारतीय दण्ड संहिता**

भाग–प्रथम

A

परिवादी	केशु लाल
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. मुकेश पुत्र मोहनलाल, उम्र– बालिग, निवासी– भमरासिया घाटी, थाना– डबोक, जिला– उदयपुर राज. **(मफरूर घोषित दि. 11.09.2025)** 2. ललित पुत्र लोगर, उम्र– बालिग, निवासी– विजनिया, थाना– वल्लभनगर, जिला– उदयपुर राज. **(मफरूर घोषित दि. 11.09.2025)** 3. रमेश पुत्र गणेश लाल, उम्र– बालिग, निवासी– ढीमडा, थाना– वल्लभनगर, जिला– उदयपुर राज. **(मफरूर घोषित दि. 11.09.2025)** 4. किशनदास पुत्र सुखदास, उम्र– बालिग, निवासी– ढावा, थाना– वल्लभनगर, जिला– उदयपुर राज. **(मफरूर घोषित दि. 11.09.2025)** 5. रमेश पुत्र गंगाराम, उम्र– बालिग, निवासी– ढीमडा, थाना– वल्लभनगर, जिला– उदयपुर राज. **(मफरूर घोषित दि. 11.09.2025)** 6. कन्हैया लाल पुत्र देवी लाल, उम्र– बालिग, निवासी– सेलु, थाना– गोगुन्दा, जिला– उदयपुर राज.
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री जयेश जैन (अभियुक्त कन्हैयालाल)
अधिवक्ता परिवादी	–––––

B

अपराध की दिनांक	31.07.2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	01.08.2014
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	23.05.2015 19.09.2015 (पूर्ण आरोपपत्र अभि. कन्हैया)
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	18.09.2015 (अभि. कन्हैया लाल)

साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	04.10.2025
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	-----
निर्णय दिनांक	**29.07.2026**
दण्डादेश की दिनांक	-----

C

अभियुक्तगण का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त गण का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्तगण द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
1	मुकेश	---	----	365, 342, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता	मफरूर घोषित दि. 11.09.2025	---	-----
2	ललित	---	----	365, 342, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता	मफरूर घोषित दि. 11.09.2025	---	-----
3	रमेश पुत्र गणेश लाल	---	----	365, 342, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता	मफरूर घोषित दि. 11.09.2025	---	-----
4	किशन दास	---	----	365, 342, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता	मफरूर घोषित दि. 11.09.2025	---	-----
5	रमेश पुत्र गंगाराम	---	----	365, 342, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता	मफरूर घोषित दि. 11.09.2025	---	-----
6	**कन्हैया लाल**	**---**	**----**	**365, 342, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता**	**दोषमुक्त**	**---**	**-----**

भाग–द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू 1	कैलाशचन्द्र	वाकियाती साक्षी
पी.डब्ल्यू 2	कमलेश	वाकियाती साक्षी
पी.डब्ल्यू 3	केशुलाल	परिवादी
पी.डब्ल्यू 4	श्यामलाल	वाकियाती साक्षी एवं पंच गवाह– फर्द घटनास्थल
पी.डब्ल्यू 5	मांगीलाल उर्फ भैरूलाल	वाकियाती साक्षी एवं पंच गवाह– फर्द घटनास्थल
पी.डब्ल्यू 6	शिवलाल	फर्द तस्दीक घटनास्थल
पी.डब्ल्यू 7	नारायणलाल	फर्द तस्दीक घटनास्थल एवं फर्द जब्ती मोबाइल
पी.डब्ल्यू 8	हीरालाल	चश्मदीद साक्षी
पी.डब्ल्यू 9	भूरालाल	फर्द तस्दीक घटनास्थल
पी.डब्ल्यू 10	बालु	वाकियाती साक्षी
पी.डब्ल्यू 11	डॉ. देवेन्द्र सिंह	चिकित्सकीय साक्षी
पी.डब्ल्यू 12	देवेन्द्र सिंह	फर्द जब्ती मारूति वैन
पी.डब्ल्यू 13	तुलसीराम	फर्द जब्ती मारूति वैन
पी.डब्ल्यू 14	मोतीसिंह	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––		

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सकीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
–––		

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी.01	गवाह कैलाशचन्द्र के पुलिस बयान
02	प्रदर्श पी.02	घटना की रिपोर्ट
03	प्रदर्श पी.03	चाक एफआईआर
04	प्रदर्श पी.04	नक्शा मौका
05	प्रदर्श पी.05	आहत केशुलाल का चोट प्रतिवेदन/गवाह केशुलाल के पुलिस बयान
06	प्रदर्श पी.06	गवाह कमलेश के पुलिस बयान
07	प्रदर्श पी.07	गवाह श्यामलाल के पुलिस बयान

08	प्रदर्श पी.08	गवाह मांगीलाल के पुलिस बयान
09	प्रदर्श पी.09	मौका तस्दीक
10	प्रदर्श पी.10	फर्द बरामदगी मोबाईल
11	प्रदर्श पी.11	फर्द बरामदगी स्थल
12	प्रदर्श पी.12	फर्द तस्दीक घटनास्थल
13	प्रदर्श पी.13	फर्द तस्दीक घटनास्थल
14	प्रदर्श पी.14	गवाह हीरालाल के पुलिस बयान
15	प्रदर्श पी.15	गवाह बालु के पुलिस बयान
16	प्रदर्श पी.16	गवाह देवेन्द्र सिंह के पुलिस बयान/फर्द जब्ती मारूति वेन

ब–बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
––		

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

– निर्णय –

01. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि "प्रार्थी केशु लाल पिता रामा निवासी धनवा रेठ (करणपुर) ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 31.07.2014 को वह अपने घर से शाम 4.30 पी.एम.पर नहा कर करणपुर जा रहा था, तब काटका कुआ गांव में उसके पीछे से इन्डिको कार में मुकेश पिता मोहन डांगी निवासी भमरासिया घाटी और रमेश पिता भागा राम डांगी निवासी ढिमरा कुल 4 जने साथी उनका नाम नहीं जानता, वो उसे जबरदस्ती गाडी डाल कर महाराज की खेडी शराब के ठेके पर ले गये। वहां से बीयर लेकर वे उसे भटेवर होकर तारावट सुनसान जगह पर ले गये, वहां उसके साथ मारपीट की। रास्ते में उससे उसका मोबाईल व गाडी की चाबी चस्मा जूते ले लिये। उसकी मोटर साइकिल घटनास्थल पर ही पड़ी है। मारपीट करते हुऐ ये कहा की फाचर तालाब की जमीन का कब्जा मेरे नाम पर स्टाम्प पर लिख कर दे, नहीं तो हम तेरे को जान से मार देंगे। उसने मना किया तो कहा कि इसको दूसरी जगह लेकर चलो, वहां से उसे मारते–मारते करणपुर के पास ले गये। वहां उसे एक लडकी का फोटो बता कर कहा कि तूं इसे 24 तारिख को उठा कर ले गया तो उसने मना किया तो उसे और मारा और कहा कि ये ओडन की है। तेरे पास ही है, तूं मेले से उसे उठा कर ले गया है। उसे वापस मारा, तब उसने कहा कि उसे पानी पिलाओ, गला सुख रहा है। वह बोल नहीं पा रहा था तो उसे ये करणपुर सुनसान जगह पर एक

हेण्डपम्प पर गाडी रोक कर वहां दो साथी और फोन कर बुलाया फिर उसे हेण्डपम्प पर पानी पिलाया और मारा तब वह मौका देखकर बाड कूद कर भागा और चिल्लाता हुआ एक गमेती के घर में घुस गया (नारू गमेती) और दरवाजा बन्द कर दिया तो लोग वहां इकट्ठे हो गये तो अभियुक्तगण वहां से भाग गये।".....आदि।

––उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर अभियुक्तागण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

––दौराने विचारण अभियुक्तगण 1. मुकेश पुत्र मोहनलाल, 2. ललित पुत्र लोगर, 3. रमेश पुत्र गणेश लाल, 4. किशनदास पुत्र सुखदास, 5. रमेश पुत्र गंगाराम को दिनांक 11.09.2025 को मफरूर घोषित किया गया। एतद्द्वारा अभियुक्त **कन्हैया लाल** हेतू प्रकरण निर्णित किया जा रहा है।

02. न्यायालय द्वारा अभियुक्त **कन्हैया लाल** को धारा **365, 342, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता** का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। जिस पर अभियोजन साक्ष्य को तलब किया गया।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए उक्त सारणी में वर्णितानुसार गवाहान के बयान करवाये गये व सारणी में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04. अभियुक्त **कन्हैया लाल** के कथन अंतर्गत धारा **313 दण्ड प्रक्रिया संहिता** लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, उनके विरूद्ध झुठा मुकदमा दर्ज करवाया जाना बताया व साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इन्कार किया गया।

05. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष के सभी साक्षियों ने अभियोजन कहानी का पूर्णतयाः समर्थन किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान ने विभिन्न फर्दों की ताईद की है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावें।

06. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का निवेदन रहा कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित गवाहान के बयानों में गंभीर विरोधाभास उभरकर सामने आया है। साथ ही अभियोजन पक्ष विभिन्न महत्वपूर्ण फर्दों को प्रमाणित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

07. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई तथा पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिन्दु विरचित किये जाते है–

क– आया अभियुक्त कन्हैया लाल ने दिनांक 31.07.2014 को समय करीब 04.30 पी.एम. वाके मौजा काटका का कुआं, पीएस– डबोक, जिला– उदयपुर राज. में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपराध करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी कैशुलाल का गुप्त रीति से सदोष परिरोध करने के आशय से उसको जबरन ले जाकर उसका अपहरण किया, प्रार्थी कैशुलाल

के साथ कुन्दालय से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, प्रार्थी कैशुलाल को एक निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर उसका सदोष परिरोध कारित किया?
ख– यदि हां तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी?

08. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री का सुक्ष्मता से विवेचन विश्लेषण करें तो प्रकरण में प्रार्थी केशु लाल पीड 03 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि बयान देने की दिनांक से करीब दस साल पहले वह बाइक लेकर रास्ते से जा रहा था, पीछे से एक कार में भंमरासिया गांव के मुकेश, रमेश डांगी तथा उसके साथी आये और उसे जबरन कार में डालकर ले गये। उसके साथ मारपीट की। वह बचकर नारू गमेती के घर में घुसा, जहां अभियुक्तगण ने उसे बंद कर मारपीट की। प्रार्थी ने घटना की रिपोर्ट प्र.पी 02, चाक एफआईआर प्र.पी 03, नक्शा मौका प्र.पी 04, चोट प्रतिवेदन प्र.पी 05 के रूप में दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। प्रार्थी पक्षद्रोही हुआ तथा जिरह जरिये अभियोजन अधिकारी में ललित, रमेश व किशन दास द्वारा भी अपहरण व मारपीट करने का कथन किया है। प्र पी 02 किसके द्वारा लिखी गई, इस बारे में जानकारी होने से इन्कार करता है। नक्शा मौका प्रपी 04 पर खाली कागज पर हस्ताक्षर करना बताता है। प्रकरण में विचारणीया अभियुक्त कन्हैया लाल के संबंध में प्रार्थी ने किसी भी प्रकार का कोई कथन नहीं किया है।

09. प्रार्थी की उक्त साक्ष्य के संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पी.ड– 08 हीरालाल व पी.ड– 10 बालु ने प्रार्थी को कुछ व्यक्तियों द्वारा कार में डालकर ले जाने का कथन किया है। परंतु कार में डालकर ले जाने वाले व्यक्ति कौन थे, इस बारे में जानकारी होने से इन्कार किया। उक्त दोनों ही गवाहान पक्षद्रोही हुए है।

10. प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाहान पी.ड– 01 कैलाशचन्द्र, पी.ड– 02 कमलेश, पी.ड– 04 श्यामलाल व पी.ड– 05 मांगीलाल उक्त चारों गवाहान भी पक्षद्रोही हुए हैं तथा केशुलाल के साथ क्या घटना हुई, इस बारे में जानकारी होने से इन्कार करते हुए नक्शा मौका प्रपी 04 पर अपने हस्ताक्षर होना बताते हैं। गवाह पी.ड– 06 शिवलाल फर्द नक्शा तस्दीक घटनास्थल प्र पी 09 पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है।

11. गवाह नारायण लाल पी.ड– 07 ने फर्द मौका तस्दीक प्र.पी 09, फर्द बरामदगी मोबाईल प्र.पी 10, फर्द बरामदगी स्थल प्र.पी 11, फर्द तस्दीक घटना स्थल प्र.पी 12 और 13 पर अपने हस्ताक्षर होना बताता है, परंतु पुलिस ने क्या माल बरामद किया, इस बारे में जानकारी होने से इन्कार करता है।

12. गवाह पी.ड– 09 भैरू लाल ने भी फर्द तस्दीक घटनास्थल प्र पी 09 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है, परंतु पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई, इस बारे में जानकारी होने से इन्कार किया है। गवाह पी.ड– 12 देवेन्द्र सिंह व पी.ड– 13 तुलसीराम ने फर्द जब्ती मारूति वैन प्र पी 16 पर हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त दोनों गवाहान पक्षद्रोही हुए हैं तथा उनके सामने अभियुक्तगण से किसी भी प्रकार की मारूति वैन जब्त होने से स्पष्ट इन्कार करते हैं।

13. चिकित्सकीय साक्षी पी.ड– 11 डॉ. देवेन्द्र सिंह द्वारा आहत केशु लाल के शरीर

पर आई चोटों का परीक्षण कर उसका चोट प्रतिवेदन प्र पी 05 तैयार करने एवं आहत के शरीर पर चोट प्रतिवेदन में वर्णित साधारण प्रकृति की दो चोटें आना अभिकथित किया है।

14. गवाह पी.ड– 14 मोतीसिंह द्वारा प्रकरण में अनुसंधान किया गया है, जिसने अपनी साक्ष्य में फर्द नक्शा मौका प्रपी 14 व आहत का चोट प्रतिवेदन प्र पी 05 इत्यिाद दस्तावेज प्रदर्शित करवाते हुए अग्रिम अनुसंधान हेतू पत्रावली सुपुर्द करने का कथन किया है।

15. उपरोक्त प्रकार से साक्ष्य के समग्र विवेचन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी पी.ड– 03 केशु लाल ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त कन्हैयालाल के संबंध में किसी प्रकार का कोई कथन नहीं किया है। अभियुक्तगण मुकेश, ललित, रमेश, किशनदास द्वारा उसका अपहरण व मारपीट करने का कथन किया है। प्रकरण में परीक्षित अन्य गवाहान पी.ड– 01 कैलाशचन्द्र, पी.ड– 02 कमलेश, पी.ड– 04 श्यामलाल, पी.ड– 05 मांगीलाल, पी.ड– 07 नारायण, पी.ड– 08 हीरालाल, पी.ड– 09 भैरू लाल व पी.ड– 10 बालु ये सभी गवाहान पक्षद्रोही हुए हैं तथा प्रार्थी केशु लाल के साथ क्या घटना हुई, इस संबंध में किसी प्रकार की कोई संपुष्टिकारक साक्ष्य नहीं दी है। गवाह पी.ड– 12 देवी सिंह व पी.ड– 12 तुलसी राम भी पक्षद्रोही हुए हैं तथा अभियुक्त कन्हैया लाल से किसी प्रकार की वैन जब्त होने से स्पष्ट इन्कार करते हैं। अनुसंधान अधिकारी मोतीसिंह की साक्ष्य में भी अभियुक्त कन्हैया लाल की प्रकरण में संलिप्तता के संबंध में किसी प्रकार की मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र होना प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में परीक्षित किसी भी साक्षी ने अभियुक्त कन्हैया लाल के संबंध में किसी प्रकार की कोई संपुष्टिकारक मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दी है।

16. ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष प्रस्तुत मामले में यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में **विफल** रहा है कि अभियुक्त कन्हैया लाल ने दिनांक 31.07.2014 को समय करीब 04.30 पी.एम. वाके मौजा काटका का कुआं, पीएस– डबोक, जिला– उदयपुर राज. में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर अपराध करने के सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रार्थी कैशुलाल का गुप्त रीति से सदोष परिरोध करने के आशय से उसको जबरन ले जाकर उसका अपहरण किया, प्रार्थी कैशुलाल के साथ कुन्दालय से मारपीट कर उसे स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की, प्रार्थी कैशुलाल को एक निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित कर उसका सदोष परिरोध कारित किया हो। अतः **अभियुक्त कन्हैया लाल** को आरोपित अपराध धारा– **365, 342, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता** में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

17. अतः अभियुक्त कन्हैया लाल पुत्र देवी लाल, उम्र– बालिग, निवासी– सेलु, थाना– गोगुन्दा, जिला– उदयपुर राज. को आरोपित अपराध धारा– **365, 342, 323 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

18. अभियुक्त द्वारा अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते है। साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437ए दण्ड

प्रक्रिया संहिता के तहत पांच–पांच हजार रुपये के जमानत–मुचलके (अपील की अपेक्षा के अध्यधीन अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने हेतू) पेश करें, जो छः माह की अवधि के पश्चात् स्वतः निष्प्रभावी समझे जावें।

19. दौराने विचारण अभियुक्तगण 1. मुकेश पुत्र मोहनलाल, 2. ललित पुत्र लोगर, 3. रमेश पुत्र गणेश लाल, 4. किशनदास पुत्र सुखदास, 5. रमेश पुत्र गंगाराम को दिनांक 11.09.2025 को मफरूर घोषित किया गया। चूंकि प्रकरण में अभियुक्तगण मफरूर हैं, अतः पत्रावली के सरबरक पर पत्रावली जाया नहीं करने का नोट अंकित किया जावे।

(प्रेम प्रकाश जीनगर)

20. निर्णय आज दिनांक **29 जुलाई, 2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व मुद्रांकित कर सुनाया गया।

(प्रेम प्रकाश जीनगर)